



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2001/कार्तिक 16, 1923

No. 568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2001/KARTIKA 16, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 833(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महा प्रबंधक
- (2) उप महा प्रबंधक
- (3) मंडल प्रबंधक
- (4) क्षेत्रीय प्रबंधक
- (5) वरिष्ठ प्रबंधक
- (6) उप प्रबंधक
- (7) वरिष्ठ बिक्री अधिकारी
- (8) बिक्री अधिकारी

[फा. सं. पी-11013/1/2000-वितरण]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2001

G.S.R. 833(E).—In pursuance of clause 4 of the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following officers of the Indian Oil Corpora-

3473 GI/2001

(1)

tion Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and IBP Company Limited, as the authority to exercise powers of search and seizure under the said order :—

- (1) General Manager
- (2) Deputy General Manager
- (3) Divisional Manager
- (4) Regional Manager
- (5) Senior Manager
- (6) Deputy Manager
- (7) Senior Sales Officer
- (8) Sales Officer

[F. No. P-11013/1/2000-Dist.]
S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आई बी पी कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महा प्रबंधक
- (2) उप महा प्रबंधक
- (3) मंडल प्रबंधक
- (4) क्षेत्रीय प्रबंधक

- (5) वरिष्ठ प्रबंधक
- (6) उप प्रबंधक
- (7) वरिष्ठ बिक्री अधिकारी
- (8) बिक्री अधिकारी

[फा. सं. पी-11013/4/98-वितरण]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2001

G.S.R. 834(E).—In pursuance of clause 4 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following officers of the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and IBP Company Limited, as the authority to exercise powers of search and seizure under the said order :—

- (1) General Manager
- (2) Deputy General Manager
- (3) Divisional Manager
- (4) Regional Manager
- (5) Senior Manager
- (6) Deputy Manager
- (7) Senior Sales Officer
- (8) Sales Officer.

[F. No. P-11013/4/98-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1993 के खंड 9 के अनुसरण में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, और आई बी पी कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महा प्रबंधक
- (2) उप महा प्रबंधक
- (3) मंडल प्रबंधक
- (4) क्षेत्रीय प्रबंधक
- (5) वरिष्ठ प्रबंधक
- (6) उप प्रबंधक
- (7) वरिष्ठ बिक्री अधिकारी
- (8) बिक्री अधिकारी।

[फा. सं. पी-11013/3/93-वितरण]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2001

G.S.R. 835(E).—In pursuance of clause 9 of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, the Central Government hereby authorises the following officers of the Indian Oil Corporation

Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and IBP Company Limited, as the authority to exercise powers of search and seizure under the said order :—

- (1) General Manager
- (2) Deputy General Manager
- (3) Divisional Manager
- (4) Regional Manager
- (5) Senior Manager
- (6) Deputy Manager
- (7) Senior Sales Officer
- (8) Sales Officer

[F. No. P-11013/3/93-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के खंड 13 के अनुसरण में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, तथा आई बी पी कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महा प्रबंधक
- (2) उप महा प्रबंधक
- (3) मंडल प्रबंधक
- (4) क्षेत्रीय प्रबंधक
- (5) वरिष्ठ प्रबंधक
- (6) उप प्रबंधक
- (7) वरिष्ठ विक्रय अधिकारी
- (8) विक्रय अधिकारी।

[फा. सं. पी-17011/25/97-एमकेटी]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2001

G.S.R. 836(E).—In pursuance of clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following officers of the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and IBP Company Limited, as the authority to exercise powers of search and seizure under the said order :—

- (1) General Manager
- (2) Deputy General Manager
- (3) Divisional Manager
- (4) Regional Manager
- (5) Senior Manager
- (6) Deputy Manager
- (7) Senior Sales Officer
- (8) Sales Officer

[F. No. P-17011/25/97-Mkt.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.